R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 2 ♦ अगस्त 2018

मौद्रिक नीति

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018–19

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 1 अगस्त 2018 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/–2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44636)

विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियां

रिज़र्व बैंक द्वारा 1 अगस्त 2018 को घोषित विभिन्न विकासात्मक और विनियामकीय नीति उपाय निम्नानुसार हैं–:

विनियमन एवं वित्तीय समावेशन

अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को एमएसएफ का विस्तार, और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को एलएएफ और एमएसएफ का विस्तार

मुद्रा बाजार दरों पर मौद्रिक नीति के संचरण में सुधार के लिए रिजर्व बैंक के सतत प्रयासों के हिस्से के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि (i) एमएसएफ के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों का अनुपालन करनेवाले अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तक पहुंच के लिए और (ii) एलएएफ / एमएसएफ के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों का अनुपालन करने वाले, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तक पहुंच के लिए स्वीकृति दी जाएं।सितंबर 2018 के अंत तक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर–एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

मूल्य खोज व्यवस्था में और अधिक दक्षता लाने के लिए और शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए नियमों के अनुकूलीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को म्यूचुअल फंड,पेंशन / भविष्य निधि, और बीमा कंपनियों के साथ सेकेंडरी बाजार में गैर–एसएलआर निवेश के अधिग्रहण / बिक्री के लिए पात्र लेनदेन करने की अनुमति दी गई। यह लेनदेन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों के साथ उपयुक्त लेनदेन करने के अतिरिक्त होंगे। सितंबर 2018 के अंत तक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण की सह–उत्पत्ति

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के लिए अत्यधिक आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि, पात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की आस्तियों के सृजन के लिए, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और छोटे वित्त बैंकों को छोड़कर), गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जमाराशि स्वीकार न करने वाली–सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण (एनबीएफसी–एनडी–एसआई) के साथ ऋण की उत्पत्ति कर सकते हैं। सह–उत्पत्ति व्यवस्था सुविधा स्तर पर दोनों उधारदाताओं द्वारा ऋण के संयुक्त योगदान तक सीमित होनी चाहिए। इसमें अपने संबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों के उचित सरेखण को सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक समझौते के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी के बीच जोखिम और पुरस्कार को साझा करना भी शामिल होना चाहिए। इस संबंध में दिशानिर्देश सितंबर 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

वित्तीय बाजार

निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न सुविधाओं की समीक्षा

अब प्रस्ताव किया गया है कि अन्य बातों के साथ, व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए प्रशासनिक अपेक्षाओं को कम करने, गतिशील हेजिंग की अनुमति देने और भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी वैश्विक अनुषंगियों के मुद्रा जोखिमों की हेजिंग भारत से करने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार के परामर्श से फेमा 25 की व्यापक समीक्षा की जाए। संशोधित दिशानिर्देशों पर ड्राफ्ट परिपत्र सितंबर 2018 के अंत तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

बाजार के समय की व्यापक समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बाजार खंडों (अर्थात करेंसी फ्यूचर्स, ओवर–द–काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा बाजार और अन्य) के समय की समीक्षा और बाजार समय के लिए अनुशंसित संशोधन का समर्थन करने के लिए आवश्यक भुगतान आधारभूत संरचना की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक समूह स्थापित करेगा। प्रस्तावित समूह अक्टूबर 2018 के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एसजीएल / सीएसजीएल दिशानिर्देशों की समीक्षा

सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) बाजारों में अधिक सहभागिता की सुविधा के लिए और सहायक सामान्य खाता–बही (एसजीएल) और ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों के उद्घाटन और संचालन में बाजार प्रतिभागियों को और अधिक सुविधापूर्ण परिचालन प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक व्यापक रूप से एसजीएल / सीएसजीएल दिशानिर्देशों की समीक्षा की करेगा। इस संबंध में अधिसूचनाएं और निर्देश अक्टूबर 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

ग्राहक शिक्षा और संरक्षण

बैंकों में आंतरिक लोकपाल तंत्र की समीक्षा

बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आईओ) को ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए शीर्ष प्राधिकरण के रूप में आंतरिक लोकपाल तंत्र की स्वतंत्रता को बढ़ाने और साथ ही आंतरिक लोकपाल तंत्र के कामकाज पर निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संशोधित निर्देश सितंबर 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay. aspx?prid=44637)

बैंकिंग विनियमन

संदर्भ दर

रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 2018 को सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों को सूचित किया है कि वे फॉर्म 'ए' रिटर्न और फॉर्म VIII रिटर्न में रिपोर्टिंग के लिए विदेशी आस्तियों/जमाराशियों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित परिवर्तन दर का उपयोग करें। यह परिवर्तन 20 जुलाई 2018 को समाप्त रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी होगा।

अन्य मुद्राओं में आस्ति/देयताओं के परिवर्तन के संबंध में, जिनके लिए संदर्भ दर एफबीआईएल से उपलब्ध नहीं है, ऐसी मुद्राओं को अमरीकी डालर में परिवर्तित करने के लिए बैंक रिपोर्टिंग शुक्रवार के कारोबार समाप्ति पर संबंधित न्यूयॉर्क क्लोजिंग दर का उपयोग जारी रख सकते हैं। बैंक भारतीय रुपए में परिवर्तन के लिए एफबीआईएल की उस दिन की यूएसडी/ आईएनआर संदर्भ दर का उपयोग कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से प्रभावी होकर आईएनआर/यूएसडी के लिए संदर्भ दर की गणना और प्रसार और अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की प्रक्रिया का कार्यभार संभाल लिया है। बैंकों को सूचित किया गया था कि फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग के लिए विदेशी आस्तियों/ जमाराशियों को परिवर्तित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित संदर्भ दर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11355Mode=0)

सहकारी बैंक विनियमन

अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए एलएएफ और एमएसएफ

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि 20 अगस्त 2018 से ऐसे अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक जिनका जोखिम (भारित) परिसंपत्ति अनुपात के लिए पूंजी (सीआरएआर) कम से कम 9 प्रतिशत है और जिनके यहां सीबीएस संस्थापित हैं, को एलएएफ की सुविधा दी जाए।

साथ ही, एलएएफ के तहत उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के अलावा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह भी निर्णय लिया गया है कि 20 अगस्त 2018 से ऐसे अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक जिनका सीआरएआर कम से कम 9 प्रतिशत है और जिनके यहाँ सीबीएस संस्थापित है, को एमएसएफ़ की सुविधा दी जाएगी। एलएएफ और एमएसएफ सुविधा प्राप्त करने के लिए नियम व शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफएमओडी) द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होंगी।

ऐसे, अनुसूचित सहकारी बैंकों की सूची, जो एलएएफ और एमएसएफ में भाग लेने हेतु पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं (सकारात्मक सूची) और जो इस हेतु पात्र नहीं पाए गए हैं (नकारात्मक सूची), सहकारी बैंक विनियमन विभाग द्वारा एफएमओडी को शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी और उसकी सूचना संबंधित बैंकों को दी जाएगी। सकारात्मक सूची में दर्शाए गए बैंकों की पात्रता स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाएगी ताकि अपेक्षित सीआरएआर का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। (https://www.rbi.org.in/ Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11361Mode=0)

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के विनियमन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में, रिज़र्व बैंक ने 16 अगस्त 2018 को यह निर्णय लिया है कि शहरी सहकारी बैंकों को द्वितीयक बाज़ार में गैर एसएलआर निवेशों के अधिग्रहण / बिक्री हेतु वाणिज्यिक बैंकों एवं प्राथमिक डीलरों के अलावा म्यूचुल फंड्स, पेंशन / भविष्य निधियों एवं बीमा कंपनियों के साथ भी पात्र लेन-देन करने की अनुमति दी जाए।

सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे द्वितीयक बाज़ार में गैर एसएलआर निवेशों के अधिग्रहण / बिक्री हेतु सभी लेनदेन प्रतिपक्षों के रूप में केवल वाणिज्यिक बैंक / प्राथमिक डीलर के साथ ही करें। (https://www.rbi.org.in/ Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11360Mode=0)

मिन्ट स्ट्रीट मेमो

एमएसएमई क्षेत्र के ऋण और निर्यात ने कैसा निष्पादन किया है ?

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) श्रृंखला के तहत हरेंद्र बेहरा और गरिमा वाही द्वारा लिखा गया तेरहवां लेख ''एमएसएमई क्षेत्र के ऋण और निर्यात ने कैसा निष्पादन किया है?'' प्रकाशित किया।

इस अध्ययन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की हाल की ऋण गतिशीलता और निर्यात के निष्पादन का आकलन किया है। विमुद्रीकरण के कारण एमएसएमई क्षेत्र की पहले से ही कमजोर होती क्रेडिट वृद्धि में और गिरावट आई है, जबकि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयन का एमएसएमई को समग्र क्रेडिट पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। एमएसएमई को क्रेडिट में वृद्धि 2017 के अंत के बाद से सुधरना शूरू हुई जो कि 2015 के मध्य स्तर तक पहुंच गई है। एमएसएमई को माइक्रो-क्रेडिट, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण सहित,ने हाल की तिमाहियों में विशेष रूप से विकास की उच्च दर दिखाई है। क्रेडिट वृद्धि के विपरीत, एमएसएमई निर्यात प्रदर्शन विमुद्रीकरण के बजाए जीएसटी कार्यान्वयन से अधिक प्रभावित हुए है।

आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, एमएसएमई को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकते हैं। एमएसएमई के विकास के लिए एक बड़ी बाधा समय पर और पर्याप्त वित्त तक पहुंचने में असमर्थता है क्योंकि उनमें से अधिकतर विशिष्ट हिस्सों में हैं जहां क्रेडिट मूल्यांकन एक बड़ी चुनौती है। एमएसएमई द्वारा वित्त तक पहुंचने में आनेवाली चुनौतियां खाते, आय और व्यापार लेनदेन से संबंधित व्यापक औपचारिक दस्तावेज की कमी के कारण हैं। नतीजतन, एमएसएमई को मुख्य रूप से उनके वास्तविक कारोबारी क्षमता का आकलन करने के बजाय अपने कोलेटरल के मूल्यांकन के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, बैंक स्टार्ट-अप पर भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे ऋणों को जोखिम भरा मानते हैं और इस प्रकार एमएसएमई को वित्त पोषित करना पसंद नहीं करते हैं।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष हैं:

- एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि विमुद्रीकरण से पहले भी कम होना शुरू हो गई थी और विमुद्रीकरण के चरण के दौरान उसमें गिरावट आई थी। इसके विपरीत, ऐसा लगता है कि जीएसटी कार्यान्वयन का क्रेडिट पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। कुल मिलाकर, एमएसएमई क्रेडिट और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए माइक्रोक्रेडिट, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऋण सहित, हाल के तिमाहियों में वृद्धि की उच्च दर दिखाता है। अप्रैल-जून 2018 की तिमाही के दौरान, एमएसएमई के लिए बैंक क्रेडिट 8.5 प्रतिशत (वाई-ओ-वाई) के औसत से बढ़कर, अप्रैल-जून 2015 के दौरान विकास के स्तर को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को क्रेडिट एक उच्च दर पर बढ़ रहा है।
- इसके विपरीत, एमएसएमई निर्यात विमुद्रीकरण की बजाए जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों से अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, जो अग्रिम जीएसटी की वापसी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में देरी के कारण नकद संचालित कामकाजी पूंजी आवश्यकताओं को प्रभावित करते थे। (https://rbi.org.in/Scripts/MSM_Mintstreetmemos13.aspx)

भाषण

खुदरा भुगतानों में नवोन्मेष[1]

डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 अगस्त 2018 को मुंबई में संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) वर्शन 2 की शुरुआत की और ''खुदरा भुगतानों में न्वोन्मेष'' पर वक्तव्य दिया। श्री विश्वमोहन महापात्र, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), श्री नंदन नीलकेणी, श्री दिलीप एस्बे, एमडी और सीईओ, एनपीसीआई, बैंकर तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित थे।

डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में तेज प्रगति करने में अपने पूर्ववर्ती गवर्नरों द्वारा रखी गई मजबूत नींव को स्वीकार करते हुए गवर्नर ने अपने संबोधन में डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक के योगदान पर प्रकाश डाला।

गवर्नर के भाषण के अंश

यह पहचानते हुए कि भुगतान और निपटान प्रणालियां आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्रबिंदु में हैं, रिज़र्व बैंक ने वर्षों से उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप भारत में भुगतान प्रणालियों ने अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है, गवर्नर ने कहा और आगे बताया कि भारत को (i) द्वितीय कारक प्रमाणीकरण, (ii) संयुक्त भुगतान संरचना और (iii) भारत क्यूआर प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए अग्रदूत के रूप में माना जाता है। हाल ही में, इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिससे नागरिकों के प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों और उत्पादों का उपयोग करने के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिसके माध्यम से वे अपनी निधि अंतरण अपेक्षाओं का ध्यान रख सकते हैं, उन्होंने कहा।

समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का अधिकाधिक उपयोग करने में प्रोत्साहन देने हेतु भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए रिज़र्व बैंक के विज़न पर प्रकाश डालते हुए, गवर्नर ने कहा कि जबकि रिज़र्व बैंक उचित समर्थकारी विनियमन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित पर्यवेक्षण तथा ग्राहक संकेंद्रिकता पर केंद्रित ध्यानाकर्षण जारी रखेगा, साइबर सुरक्षा, प्रभावी ग्राहक शिकायत समाधान व्यवस्था तथा ग्राहकों के प्रभारों के औचित्य की तरफ ऑपरेटरों द्वारा उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करते हुए कि साइबर सुरक्षा के मामले में कोई पहलू न छोड़ा जाए, गवर्नर ने कहा कि ''आखिरकार एक नेटवर्क परिवेश में हम उतने ही मजबूत हैं जितना सबसे कमजोर लिंक है। हम स्वयं के प्रति ऋणी हैं कि हम व्यक्तिगत कार्यों से प्रणाली की सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं करते हैं, इस संदर्भ में लागत बचतों से बचना चाहिए''।

वर्ष 2008 में एनपीसीआई की उत्पत्ति और इसके पीछे के औचित्य पर बात करते हुए, गवर्नर ने कहा कि एनपीसीआई का निकट उद्देश्य सुविधा का प्रावधान करना है, कभी भी, कहीं भी भुगतान सेवाएं जो सुरक्षित हैं और उपयोग करने में आसान हैं तथा उन्होंने आगे कहा कि ''हासिल किया जाने वाला लक्ष्य वहनीय भुगतान तंत्र की सुविधा प्रदान करना है जिससे कि आम आदमी को लाभ मिल सके तथा वित्तीय समावेशन को भी उत्प्रेरित किया जा सके''।

संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को एनपीसीआई के एक अधिक सफल उत्पाद के रूप में खुदरा निधि अंतरण के लिए वाहक नलिका के रूप में संदर्भित करते हुए, डॉ. पटेल ने यूपीआई के बारे में बात की जो तत्काल निधि अंतरण तथा संवेदनशील सूचना दिए बिना विभिन्न भुगतानों के लिए बहु बैंक खातों को एकल मोबाइल एप्लिकेशन (कोई भी सहभागी बैंक) में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है। यूपीआई मर्चेंट भुगतानों, उपयोगिता भुगतानों, ओवर द काउंटर भुगतानों, क्यूआर कोड (स्कैन और पे) आधारित भुगतानों और ऐसे ही अन्य भुगतानों का 365×24×7 आधार पर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से समर्थन करता है।

भारत में डिजिटल भुगतानों के दायरे में विस्तार करने और इसे बढ़ाने के लिए यूपीआई के संवृद्धित वर्शन की शुरुआत करते हुए, डॉ. पटेल ने कहा कि यूपीआई 2 नए क्षेत्र खोलेगा जैसे कंपनियों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए खुदरा एप्लिकेशन जिन्हें अब यूपीआई के माध्यम से प्रोसेस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूपीआई 2 सरलता, सुरक्षा और निर्बाधता को अगले स्तर पर ले जाएगा जो पारिस्थिकी तंत्र में अन्य उत्पादों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा।

गवर्नर ने अपने वक्तव्य में यूपीआई के नए वर्शन की संवृद्धित विशेषताओं पर प्रकाश डाला जो निम्नानुसार हैं:

- इनबॉक्स में बीजकः इससे भुगतान करने वाला व्यक्ति भुगतान को प्राधिकृत करने से पहले भुगतान से संबंधित दस्तावेज जैसे बिल या बीजक देख सकता है जिससे कि भुगतानकर्ता अपने भुगतान के उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो सके।
- हस्ताक्षरित इन्टेंट/क्यूआरः इससे व्यक्ति अलग से यूपीआई खोले बिना उसी मोबाइल डिवाइस पर कंपैटिबल एप्लिकेशन पर शुरू किए गए लेनदेन के लिए भुगतान प्राधिकृत कर सकता है, और इस प्रकार सुरक्षा से समझौता किए बिना उपयोग में सहजता आएगी।
- फंड ब्लॉकिंग के साथ यूपीआई अधिदेशः इससे बारंबार/आवधिक भुगतानों के लिए स्वतः डेबिट अधिदेश का पंजीकरण हो जाएगा तथा यह हस्तचालित खाता आधारित परिचालनात्मक परिदृश्य में स्थायी अनुदेशों के समान होगा।
- ओवरड्राफ्ट खाते के लिए यूपीआईः इससे ऐसे ऋण खातों पर लेनदेन की सुविधा मिलेगी जिनके लिए अब तक प्रावधान नहीं किया गया था, इस प्रकार यूपीआई अधिक सर्वव्यापी बन जाएगा।
- अन्य उल्लेखनीय विशेषता प्रति लेनदेन सीमा में वृद्धि करना है जो मौजूदा ₹ 1 लाख से बढ़कर ₹ 2 लाख हो जाएगी। इससे बड़े मूल्य के तत्काल लेनदेन मोबाइल पर हो सकेंगे।

उपर्युक्त सभी में, यह उल्लेखनीय है कि संवृद्धित योग्यताएं यूपीआई के सुरक्षित आधार पर निर्भर करेंगी जो न केवल स्थिर हो गया है बल्कि पसंद का विश्वस्त चैनल भी बन गया है, उन्होंने कहा और आगे बताया कि ''यूपीआई के अंदर और सुविधाओं की संभावना है''। कुछ संभावनाओं में मानकीकृत फार्मेटों और संचरनाओं की दृष्टि से भविष्य की नई भुगतान प्रणालियों का समेकन, उन अनेक गृह-विकसित ई-वाणिज्य एप्लिकेशनों जिनमें काफी अधिक संभावना है, को समेकित करने की योग्यता, डिजिटल मोड का इस्तेमाल करने वाले उभरते हुए नवोन्मेषी डिलीवरी चैनल तथा ऐसी ही दूसरी चीजें शामिल हैं, इस प्रकार यह इसकी (तुलनात्मक रूप से कम लागत) बहुविज्ञता को रेखांकित करता है।

एनपीसीआई के अपने अस्तित्व के लगभग एक दशक के समय में इसके प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर (एसआईपीआई) का दर्जा हासिल करने पर बात करते हुए, गवर्नर ने कहा कि ऐसा दर्जा अपने साथ संवृद्धित उत्तरदायित्व लाता है और एनपीसीआई अग्रणी भुगतान प्रणाली प्रदाता की अपनी भूमिका में निश्चित रूप से अग्रणी बना रहेगा। उनको यह विश्वास भी है कि एक विनिर्दिष्ट एसआईपीआई के रूप में, एनपीसीआई अच्छे अभिशासन, भरण-पोषण, नवोन्मेष, विश्वसनीयता तथा लचीलेपन के उच्चतम स्तर का अनुसरण करता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसे तकनीकी कमियों, कारोबारी कमियों, प्रोसेसिंग स्पीड तथा क्षमता और अन्य के मामले में प्रत्याशित कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स की बेंचमार्किंग करके अपनी प्रणालियों तथा उत्पादों के कार्यनिष्पादन का निरंतर आधार पर आकलन भी करना चाहिए।

गवर्नर ने अपनी निष्कर्ष टिप्पणियों में प्रकाश डाला कि शुरुआती वर्षों में डेवलपर और बाद के वर्षों में उत्प्रेरक तथा फेसिलिटेटर के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा समायोजित दृष्टिकोण अपनाए जाने के परिणामस्वरूप भारत में भुगतान प्रणालियों का अच्छा विकास हुआ है। ''आज हमारी प्रणालियों की विश्व में किसी भी स्थान पर न केवल तुलना की जा सकती है बल्कि इन्होंने दूसरो के लिए इनका अनुकरण करने के लिए मानक और अच्छी पद्धतियां भी स्थापित की हैं'', उन्होंने जोर देकर कहा तथा आगे बताया कि ''भविष्य में हम सुनिश्चित करेंगे कि विनियमन भुगतान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष बढ़ाएगा''। गवर्नर ने यूपीआई जैसे उत्पादों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए निष्कर्ष में बताया कि यूपीआई सभी नागरिकों को सुरक्षित भुगतानों के दायरे में लाने के लिए राष्ट्र के लक्ष्य के लिए कार्य जारी रखेगा।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1060)

[1] डॉ. उर्जित आर. पटेल द्वारा मुंबई में 16 अगस्त 2018 को यूपीआई वर्शन 2 की शुरुआत करते समय संबोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017–18 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 अगस्त 2018 को 2017–18 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जो रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का सारांश निम्नानुसार है :

आर्थिक समीक्षा

भारतीय अर्थव्यवस्था ने निवेश और निर्माण में बेहतरी के साथ 2017– 18 में आघात–सहनीयता का प्रदर्शन किया । अत्यंत अस्थिरता से युक्त वातावरण में महंगाई दर वर्ष–दर–वर्ष आधार पर कम हुई । मौद्रिक समुच्चय का विकास करते हुए संचलन में मुद्रा ने विमुद्रीकरण पूर्व की स्थिति को पार कर लिया, जबकि ऋण संवृद्धि पिछले साल ऐतिहासिक कम स्तर पर फिसलने के बाद दोहरे अंकों में पुनः प्रवर्तित हुई । इक्विटी बाजारों में उछाल आने तथा कुछ अंतलों पर गिरावट होने, बॉन्ड प्रतिफलों के कठोर होने, केवल वर्ष की समाप्ति को छोड़कर रुपया व्यापार में सामान्यतः मूल्यवृद्धि की प्रवत्ति होने तथा मुद्रा बाजारों में प्रचुर चलनिधि के साथ घरेलू वित्तीय बाजार व्यापक रूप से स्थिर रहे । जीएसटी का क्रियान्वयन करके कारगर अप्रत्यक्ष कर संरचना में एक और उपलब्धि हासिल की गई । बाह्य क्षेत्र में, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में बढ़ोतरी के कारण चालू खाता घाटा का वित्तपोषण सुचारू रूप से किया गया।

मौद्रिक नीति परिचालन

फरवरी 2017 के बाद से नीति का रुझान तटस्थ बना रहा। विमुद्रीकरण के चलते प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि को रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के माध्यम से धीरे–धीरे बाहर निकाल लिया गया । वर्ष के दौरान जमा और उधार दरों में नीति–संवेगों के संचरण में और सुधार हुआ, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों और बैंक समूहों में इसमें काफी अंतर बना रहा ।

ऋण सपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने कई नए उपाय किए जिनमें शामिल हैं– प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रमाणित क्रेडिट परामर्शदाता (सीसीसी) स्कीम की शुरुआत, एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के आकलन हेतु सर्वेक्षण करना, संशोधित अग्रणी बैंक योजना लागू करना, वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की कुछ अहम सिफारिशों का कार्यान्वयन और वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव पद्धतियां। वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने का कार्य भी चल रहा है । ऋण सुपुर्दगी तथा वित्तीय समावेशन के तहत कुछ परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान किया जाएगा, ताकि प्रभावोत्पादकता का निर्धारण किया जा सके ।

वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2017–18 के दौरान रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के माध्यम से दिए गए संकेत को अधिक कारगर रूप से अमल में लाने के उद्देश्य से नीतिगत दरों के मुताबिक मुद्रा बाजार की दरों में बेहतर समरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में निरंतर बनी रही अतिरिक्त चलनिधि के अवशोषण हेतु विविध प्रकार की लिखतों का उपयोग किया है। रिज़र्व बैंक ने ओवर द काउंटर (ओटीसी) तथा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्ज़ (ईटीसीडी) दोनों पर अपना नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान विनियमों को और तर्कसंगत बनाया गया ताकि निधियों के सीमा पार प्रवाह में सुविधा हो सके।

विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

दबावग्रस्त आस्तियों से संबंधित विभिन्न समाधान योजनाओं को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए ढांचे को संशोधित किया गया और पूर्ववर्ती योजनाओं को बंद कर दिया गया।अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करते हुए उनके अधिकारों को मजबूत बनाया गया। डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाया गया। जमा–राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए लोकपाल योजना प्रारंभ की गई । सहकारी बैंकों के लिए विनियामक नीतियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की विनियामक नीतियों को और अधिक सुसंगत बनाया गया । विनियमों को स्वामित्व निरपेक्ष बनाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफ़सी से यह अपेक्षा होगी कि वे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का चरणबद्ध ढंग से अनुपालन करें।

लोक ऋण प्रबंधन

रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू और वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों के बीच कम लागत, जोखिम न्यूनीकरण और बाजार विकास को रेखांकित करती हुई ऋण प्रबंधन की रणनीति के समग्र ढांचे के भीतर 2017–18 के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की उधार जरूरतों को पूरा किया गया, बावजूद इसके कि बैंकों के निवेश संविभाग के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षा में कमी के लिए ग्लाइड पथ के रूप में अनेक चुनौतियां थीं। समष्टि आर्थिक मोर्चे पर, मुद्रास्फीति के टिल्टिंग जोखिम, राजकोषीय चूकों से उत्पन्न हुए दबाव, घटना विशेष घोषणाएं,उदाहरण के लिए कृषि ऋण माफी के साथ–साथ वैश्विक कारकों जैसे कच्चे तेल की कीमतों में वद्धि और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतिगत नरमी प्रमुख कारक रहे जिन्होंने प्रतिफल को प्रभावित किया ।

मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2017–18 के दौरान मुद्रा प्रबंधन के अंतर्गत प्रमुख रूप से पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया और विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की प्रोसेसिंग तथा मिलान का प्रबंधन करने पर बल दिया गया। इस वर्ष की खास बात ₹ 10 और ₹ 50 की नई शृंखला के बैंक नोटों का निर्गम और एक नए मूल्य वर्ग ₹ 200 के नोट की शुरुआत रही । महात्मा गांधी (नवीन) शृंखला में देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाते हुए नए बैंक नोटों का निर्गम किया गया ।

भुगतान और निपटान प्रणालियां तथा सूचना प्रौद्योगिकी

रिज़र्व बैंक एक ऐसे समाज की व्यवस्था करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहा है जिसमें नकदी का लेनदेन कम से कम किया जाए और इसके लिए देश में भुगतान के डिजिटल तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाया गया । आज जबकि कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां प्रचलन में आ रही हैं, बैंक ने अपने प्रयासों को डिजिटल लेनदेनों को निरापद और सुरक्षित बनाने पर फोकस किया है।

संचार, अतंरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान एवं सांख्यिकी

रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपाय अपनाते हुए इस वर्ष के दौरान अपने संचार प्रयासों को और भी सुदृढ़ किया है, इस वर्ष में वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) भी सफलता के साथ पूरा हुआ। अनुसंधान और सांख्यिकी में सुधार करने और सरकारों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी रहे। सुरक्षा, चलनिधि तथा प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडारों को व्यवस्थित और मार्गदर्शित किया गया । बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष के दौरान अनेक वित्तीय कानून/बिल प्रस्तुत/संशोधित किए गए।

अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

जोखिम वर्ष 2017–18 में अन्य बातों के साथ–साथ, मानव संसाधन विकास, उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम), लेखापरीक्षा प्रबंधन और राजभाषा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न उपाय किए गए। स्टाफ के बीच ज्ञान प्रसार की मुहिम के एक भाग के रूप में संरचित ई–अध्ययन पाठ्यक्रम लागू किए गए। आरबीआई नीति चुनौती जो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धा है और जिसका लक्ष्य स्नातक/परा–स्नातक विद्यार्थी होते हैं, के तीसरे संस्करण को वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । भारत सरकार को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष के संबंध में एक नियम आधारित सान्तर अधिशेष वितरण नीति (एसएसडीपी) को लागू किया गया। वेब–आधारित लेखापरीक्षा प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और विश्लेषण प्लेटफार्म नामत: लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) विकसित की जा रही है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय कार्यालय नीतियों को लागू करने के लिए उद्यम कर रहें हैं ताकि रिज़र्व बैंक के स्थापित उद्देशों को प्राप्त किया जा सके ।

2017–18 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन–पत्र के आकार में 9.49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2017–18 के दौरान आय में जहां 26.63 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ वहीं व्यय में 9.24 प्रतिशत की कमी आयी। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹ 306.59 बिलियन की तुलना में ₹ 500 बिलियन रहा जो 63.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।